

संख्या ४१ के द्वारा

उपर्युक्त (२)

उद्दारण मन्त्रालय  
आधोगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 1989

अधिसूचना

का.आ.सं.झ. 12012/1/87-हिन्दी : केन्द्रीय सरकार,  
राजभाषा और संघ के ज्ञासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोगशैली नियम 1976 के  
नियम 10 के उप नियम ५४ के अनुसार में निम्नलिखित कार्यालयों को,  
जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर  
लिया है, अधिसूचित करती है : -

४कृ विस्फोटक विभाग, नागपुर

1. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, उत्तरी अंचल, आगरा। ✓
2. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पूर्वी अंचल, कलकत्ता। ✓
3. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पश्चिमी अंचल, बम्बई। ✓
4. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, भोपाल।
5. उप विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, भंडारा।
6. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, चण्डीगढ़।
7. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, जयपुर।
8. उप विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, गोमिया।
9. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, हैदराबाद।
10. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, हजारीबाग।
11. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, राऊरकेला।

४खृ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई।

12. क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी।
13. राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, चण्डीगढ़।
14. क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हल्द्वानी।

65. पुरोटोटाह

नथा प्रशिक्षण केन्द्र, औखला, अली |

स्टॉट

०/० शाखा काल

लघु उद्योग निगम लिलि

६८. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर ।

६९. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल ।

७०. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजकोट ।

७१. निमाण कार्य प्रभाग, नैनी ।

७२. पुरोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण उप केन्द्र, अलीगढ़ ।

७३. पुरोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण उप केन्द्र, काशीपुर ।

रतन नाथ कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

तेवा में,

प्रबन्धक,  
भारत सरकार प्रशिक्षण  
रिंग लौड, मायापुरी,  
नई दिल्ली

प्रतिलिपि हृचनार्थ प्रेषित ।-

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- सभी सम्बन्धित कार्यालय ।
- राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।